

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठारिनी अधिकाऱी का नाम : सुश्री श्येता कोसर (आर०ए०ए०)

वाद सं० : 658 संन 2019

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्राजराम जाति जाट निवारी चारणवारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज उर्फ इन्द्राज राम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवारी चारणवारी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज राम जाति जाट निवारी चारणवारी तहसील नोहर।
3. दयाराम पुत्र इन्द्राज राम जाति जाट निवारी चारणवारी तहसील नोहर।
4. परगेश्वरी देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवारी चारणवारी तहसील नोहर।
5. राजवाला पुत्री इन्द्राज पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवारी चक 1 केकेडव्यू ढाणी जिला हनुमानगढ।
6. पुनम पुत्री इन्द्राज पत्नी हंसारज जाति जाट निवारी चक 1 केकेडव्यू ढाणी जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ/नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी  
पेशेकार राज

निर्णय दिनांक :- 22/10/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 264/217 की कुल 4.2500हैक में रो 1/2 हिस्सा व चक 8 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.0330हैक व चक 9 केएनएन के खाता संख्या 6/8 की कुल 2.1284हैक व चक 10 केएनएन के खाता संख्या 5/5 की कुल 1.4480हैक व चक 11 केएनएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.1240हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा चक 1 केकेडव्यू के खाता संख्या 44/47 की कुल 6.4020हैक प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

चक 8, 9 केएनएन की भूमि वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता/माता प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की माता है काफी वृद्ध हो चुके हैं इसलिये काश्त करने में असमर्थ होने के कारण वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है अर्थात चक 10 केएनएन की भूमि के अलावा समस्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे वाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तवा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को

उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1, 4 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता/पति तेजाराम वल्द मामराज के देहान्त होने एवं उसके पिता/पति तेजाराम वल्द मामराज ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके /प्रतिवादी संख्या 1, 4 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5, 6 का पिता/माता हे के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है जो सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात पैतृक सयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1, 4 जो वादी की माता/पिता है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये 10 केएनएन के अलावा अन्य वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जरिये अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल भिसल किया गया है। एवं प्रतिवादी संख्या 7 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल भिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 264/217 की कुल 4.2500 हैक में से 1/2 हिस्सा व चक 8 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.0330 हैक व चक 9 केएनएन के खाता संख्या 6/8 की कुल 2.1284 हैक व चक 10 केएनएन के खाता संख्या 5/5 की कुल 1.4480 हैक व चक 11 केएनएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.1240 हैक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा चक 1 केकेडब्ल्यू के खाता संख्या 44/47 की कुल 6.4020 हैक प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

चक 8, 9 केएनएन की भूमि वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा तेजाराम वल्द मामराज ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता/माता प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से दर्ज है। वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का प्रतिवादी संख्या 1, 4 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है एवं प्रतिवादी संख्या 4 जो वादी की माता है काफी वृद्ध हो चुके हैं इसलिये काश्त करने में असमर्थ होने के कारण वाद भूमि में अपने हक हिस्सा की भूमि को वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है अर्थात चक 10 केएनएन की भूमि के अलावा समस्त वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.आर.डी 1998 पेज 646 एवं आरआरसी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चस्था होते हैं अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है उपर्युक्त अधिवक्ता वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

बोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 264/217 की कुल 4.2500 है व से 1/2 हिस्सा व चक 8 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.0330 है व चक 9 केएनएन के खाता संख्या 6/8 की कुल 2.1284 है व चक 10 केएनएन के खाता संख्या 5/5 की कुल 1.4480 है व चक 11 केएनएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.1240 है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम तथा चक 1 केकेडब्ल्यू के खाता संख्या 44/47 की कुल 6.4020 है प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में से दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि चक 8, 9, 10 केएनएन वादी के दादा तेजाराम वल्द मागराज के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर विरासतन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के दादा तेजाराम वल्द मागराज ने सयुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि के अलावा कुछ भूमि वादी के पिता/माता प्रतिवादी संख्या 1, 4 के नाम से करवाई गई थी सयुक्त परिवार की आय/पैतृक सम्पत्ति से अर्जित भूमि पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि सयुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा की भूमि है।


वादी के द्वारा प्रस्तुत न्यायाधिक दृष्टान्तों के अनुसार यह साबित होता है कि सयुक्त परिवार की सम्पत्ति एवं कृषि भूमि की आय से यदि कोई सम्पत्ति या कृषि भूमि खरीद कर परिवार के मुखिया के नाम से करवाई जाती है तो उसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा होगा।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 1, 4 वादी के पिता/माता है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने पुत्र/पुत्रीयो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के पक्ष में किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1, 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हकों का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5, 6 के हक हिस्सा की भूमि है जसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चरपा होते हैं की सयुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं परोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बारानी के खाता संख्या 264/217 की कुल 4.2500 है व से 1/2 हिस्सा व चक 8 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.0330 है व चक 9 केएनएन के खाता संख्या 6/8 की कुल 2.1284 है व चक 11 केएनएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.1240 है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2, 3 बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है तथा चक 1 केकेडब्ल्यू के खाता संख्या 44/47 की कुल 6.4020 है प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5, 6 दोनो बहिब के खातेदार काशतकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा व चक 10 केएनएन के खाता संख्या 5/5 की कुल 1.4480 है भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इन्द्राजाराम किया जाकर नाम यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधीक्षक (राजस्व)  
नोहर (हनुमानगढ़)

## पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6-7 खाता दिवानी )

### न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :-

1. महेन्द्रसिंह पुत्र इन्द्राजराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. इन्द्राज उर्फ इन्द्राज राम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. सुभाषचन्द्र पुत्र इन्द्राज राम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
3. दयाराम पुत्र इन्द्राज राम जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी देवी पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी चारणवासी तहसील नोहर।
5. राजबाला पुत्री इन्द्राज पत्नी धर्मपाल जाति जाट निवासी चक 1 केकेडब्ल्यू ढाणी जिला हनुमानगढ।
6. पुनम पुत्री इन्द्राज पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी चक 1 केकेडब्ल्यू ढाणी जिला हनुमानगढ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ/नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण


वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 658 सन 2020 निर्णय दिनांक-22/10/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व ) नोहर के समक्ष

अधिवक्ता वादी एवं पेशेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 3 बरानी के खाता संख्या 264/217 की कुल 4.2500हैक् में से 1/2 हिस्सा व चक 8 केएनएन के खाता संख्या 8/8 की कुल 1.0330हैक् व चक 9 केएनएन के खाता संख्या 6/8 की कुल 2.1284हैक् व चक 11 केएनएन के खाता संख्या 6/6 की कुल 1.1240हैक् प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2,3 बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है तथा चक 1 केकेडब्ल्यू के खाता संख्या 44/47 की कुल 6.4020हैक् प्रतिवादी संख्या 4 के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 5,6 दोनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है एवं रोही मौजा व चक 10 केएनएन के खाता संख्या 5/5 की कुल 1.4480हैक् भूमि प्रतिवादी संख्या 1 का नाम इन्द्राजराम किया जाकर भूमि यथावत रहेगी इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22/10/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )